श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : माननीय सभापति जी , जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2006 में कुंभ के बाद यह सबसे बड़ा मेला होगा, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप जो धनराशि उसकी व्यवस्था के लिए या उसके काम के लिए रिलीज करने वाले है, ऐसा देखा गया है कि धनराशि बहुत देर से रिलीज होती है, जिससे वह उपयोग में नहीं आ पाती है, तो क्या यह पैसा समय पर रिलीज कर दिया जाएगा ? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका आश्वासन दें ।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, this is an amount that is being released through the Planning Commission in consultation with the State Government. It gives me pleasure to inform you that the State Government has already begun to evince keen interest and they are taking brisk steps. The State Government in this regard is entitled to incur expenditure and then claim money. There is no question of money not being spent in time.

श्री मोती लाल वोरा : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से प्रश्न का जवाब दिया है । मैं केवल उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि वर्तमान वर्ष में तो जैसा आपने कहा कि 3 लाख 39 हजार रूपए की स्वीकृति दी गई है, क्या इसके पूर्व के वर्षो में भी इसकी मेंटीनेन्स के लिए कोई स्वीकृत दी गई थी ? यह तो वर्तमान वर्ष के लिए आपने कहा कि 3 लाख 39 हजार रूपए की एप्रूव की गई है, मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता था कि इसके पूर्व के वर्षो में कोई राशि इसके लिए दी गई है या यह पहली बार दी जा रही है ?

श्री सभापति : आप क्यों जानना चाहतें है ? ...(**व्यवधान**)... चलिए , छोड़िए । नैक्सट क्वेश्चन ।

*362. [The questioners Shri Datta Meghe and Shri Vasant Chavan were absent. For answer *vide* page 25]

Financial assistance to Sanskrit pandits

*363. SHRI SURENDRA LATH:†

SHRI KRIPAL PARMAR:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Surendra Lath.

(a) whether Government are aware of the fact that two Sanskrit Pandits from Sikkim were granted Financial Assistance by Government for subsistence till 2003-04;

(b) whether for the financial years 2001-02, 2002-03 and 2003-04, a sum of Rs. 85,000/- was sanctioned and given to the HRD Department of the Government of Sikkim and an amount of Rs. 55,000/-only was paid to the Pandits for three years as backlog, if so, the reasons therefor; and

(c) whether it is a fact that for the year 2004-05 they have not been paid till date and if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

1 An amount of Rs. 85000/- was released to Government of Sikkim for disbursement as financial assistance to two Sanskrit Pandits for the years 2001-02, 2002-03 and 2003-04.

2.Under the Central Plan Scheme for Development of Sanskrit Education, financial assistance to Sanskrit Pandits under indigent circumstances was granted @ Rs. 10,000/- per annum, after deducting his income from other sources upto the year 2002-03. The scheme was revised in 2003-04 and each scholar is to be given a maximum of Rs. 24,000/- per annum, without deduction of income from other sources.

3.Government of Sikkim have informed that they have disbursed Rs. 55,500/- for the three years to the two Pandits. They have been requested on 5.8.2005 and again on 20.8.2005 to disburse the remaining amount of Rs. 29,500/- also to the two Pandits for the year 2003-04.

4.Fresh Central Assistance under the scheme for the year 2004.-05 can be considered only on receipt of request from the State Government, alongwith utilization certificate in respect of grant released earlier Government of Sikkim has not submitted these so far.

श्री सुरेन्द्र लाठ: माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि वर्ष 2001-01 ,2002-03 और 2003-04 के लिए सिक्किम सरकार को 85,000/ - रूपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से केवल रूपए 55,500 /-वितरित किए गए है और जो बेलेन्स राशि है, वह अभी तक वितरित नहीं की गई है । बाकी की धनराशि उनके उपयोग करने के बाद , यूटिलाइजेशन होने के बाद आप वर्ष 2004-05 में उपलब्ध कराने वाले थे । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार जो भी धनराशि राज्य सरकारों को उपलब्ध कराती है, जिन कार्यो के लिए उपलब्ध कराती है, वह धनराशि समय पर वितरित हो जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकार के द्वारा कोई ऐसी मोनेटरिंग की व्यवस्था की गई है? अगर वहां की सरकार उस राशि का उपयोग समय पर नहीं करती है, तो उसके लिए सरकार ने किस प्रकार की योजना बनाई है ?

श्री अर्जुन सिंह : सभापति जी, यह सही बात है कि यह इनडिजेंट सिचुएशन में उन लोगों को दी जाती है और इस राशि का उपयोग समय पर हो, यह अपेक्षा की जाती है । राज्य शासन इस विषय पर कार्रवाई करता है । मुझे खेद है कि इस विषय पर सिक्किम सरकार की ओर से जो कुछ जानकारी आनी चाहिए थी, वह उन्होंने स्वयं नही दी है । बार –बार उनसे पूछने के बाद भी हमें पूरी जानकारी नहीं आई है । इसलिए यह जरूरी है कि इस पूरी योजना का हम इस प्रकार से पुनरावलोकन करें ताकि यह राशि जहां भी दी जाए, उन लोगों को मिल सके ।

श्री सुरेन्द्र लाठ : सभापति महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास ऐसी और कितनी योजनाएं है, जिनके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत और निवृत्त किया गया धन सिक्किम सरकार द्वारा व्यय नहीं किया गया है अथवा उसका सदुपयोग नहीं किया गया है ?

श्री अर्जुन सिंह : सर, अभी तो मुझे इसी की जानकारी मिली है , जो माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका मैंने उत्तर दिया है ।

श्री कृपाल परमार : सभापति जी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सिक्किम के भारत में विलय के बाद वहां पर भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था । मान्यवर, शुरू में यह रकम संस्कृत के पंडितों की अन्य राशियों को घटाकर 10 हजार रूपए थी, बाद में सरकार ने इसे बढ़ाकर 24 हजार रूपए किया है, लेकिन अभी भी 29 हजार रूपए वहां पर ऐसे पड़े हुए है, जिनका सदुप्रयोग सिक्किम सरकार ने नहीं किया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि वहां पर संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार ऐसी व्यवस्था बने जिससे कि बार –बार केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच खत –ओ – किताबत की नौबत न आए ?

श्री अर्जुन सिहं : सर, चूंकि यह राशि प्रदेश सरकारों द्वारा ही वंटित की जाती है, इसलिए प्राथमिक तौर पर तो वे ही जिम्मेदार रहेंगे । इसलिए मैं कह रहा हूं कि समूची योजना का पुरावलोकन किया जा रहा है ताकि ऐसी परिस्थिति का निर्माण न हो कि यहां से दी गई रकम उनको न मिले सके ।

Listing of Education in Eighth Schedule

*364. SHRI THANGA TAMIL SELVAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many States have been demanding shifting of 'Education' from the Concurrent List to the State List;

(b) if so, Government's reaction thereto;

(c) whether Government recognise the diverse socio-cultural ethos of this country according to which the school curriculum has to be shaped; and

(d) whether Government would bring a constitutional amendment to shift 'Education' to the State List?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No demand has been received from the States for shifting of 'Education' from the Concurrent List to the State List.

(c) Government do recognize the diverse social cultural ethos of the country. Keeping this in view, the draft National Curriculum Framework for School Education (NCFSE), 2005 prepared by the National Council of Educational Research and Training (NCERT) which is yet to be finally considered by the Central Advisory Board of Education (CABE) reflects these concerns. Its common core will include the history of India's freedom movement, the constitutional obligations and other content essential to nurture national identity which will cut across subject areas and will be designed to promote values such as India's common cultural heritage, egalitarianism democracy and secularism, equality of